प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं**
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील (सिविल) क्र. 272/2008

अपीलार्थीगण/दावेदार:

1. बबलू शेख, आयु 42 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्री सजन शेख,
2. श्रीमती तर्जा बीबी, आयु 35 वर्ष, पति श्री बबलू शेख,
   उपरोक्त दोनों निवासी ग्राम- चारसफी, हाजी पारा, थाना भगवानगोला, जिला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण:

1. सिताराम मरार, आयु 40 वर्ष, आत्मज पहरू मरार, निवासी ग्राम-अर्जुनी, थाना पिथौरा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.) (जीप क्रमांक सी.जी. 04/जेड.पी./1165 का चालक)
2. नवीर खान, आत्मज श्री भो खान, निवासी ग्राम-छिब्बर्रा, थाना पिथौरा, तहसील एवं जिला महासमुंद (छ.ग.) (जीप क्रमांक सी.जी. 04/जेड.पी./1165 का स्वामी)
3. द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा मंडल कार्यालय, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जेल रोड, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) (जीप क्रमांक सी.जी. 04/जेड.पी./1165 की बीमा कंपनी)

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील का ज्ञापन

उपस्थित:

श्री जे.ए. लोहानी, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(29 फरवरी, 2008)

न्यायालय का निम्लिखित आदेश **राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया:

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी को अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1 (अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के क्षमापन हेतु आवेदन) पर सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर सम्यक विचारोपरांत, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने में सफल रहे हैं।

3. अत: अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 1 स्वीकृत किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को एतद्द्वारा क्षमा किया जाता है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया।

5. अपीलार्थीगण, मृतक टोटू खान के दुर्भाग्यशाली माता-पिता, दावा प्रकरण क्रमांक 44/2007 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद द्वारा के माध्यम से पारित

अधिनिर्णय दिनांक 06-09-2007 में अधिनिर्धारित प्रतिकर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

6. दिनांक 25-03-2007 को हुई मोटर दुर्घटना में अपने पुत्र टोटू खान की मृत्यु के लिए दावेदारों द्वारा मांगे गए 32,00,000/- रुपये की प्रतिकर के विरुद्ध, जब वह जिस मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर यात्रा कर रहा था उसे दुर्घटनाकारी वाहन जीप पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 04/जेड.पी./1165 द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप टोटू खान को कई गंभीर चोटें आईं, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,82,000/- रुपये की प्रतिकर अधिनिर्धारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने पुरजोर तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय का आधा हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चों के मद में घटाने में; 10 का कम गुणक चुनने में; और दावेदारों को केवल 4,82,000/- रुपये की कम प्रतिकर अधिनिर्धारित करने में भूल की है।

8. जहां तक अधिकरण द्वारा मृतक की आय का आकलन 8,000/- रुपये प्रति माह करने का संबंध है, अपीलार्थीगण को कोई शिकायत नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने स्वयं यह अभिवचन किया था कि मृतक- टोटू खान 8,000/- रुपये प्रति माह कमाता था।

9. चूंकि परिवार में मृतक सहित केवल तीन सदस्य थे; मृतक के पिता की आयु केवल लगभग 42 वर्ष थी, वह स्वयं एक कमाऊ सदस्य थे; मृतक अविवाहित था और उसकी आयु लगभग 22 वर्ष थी, जिसका विवाह यथासमय, 4-5 वर्षों के भीतर हो गया होता; हम संतुष्ट हैं कि अधिकरण ने मृतक की आय का 50% उसके व्यक्तिगत खर्चों के मद में सही रूप से घटाया है। अत:, हम अधिकरण द्वारा दावेदारों की निर्भरता के आकलन में जो 4,000/- रुपये प्रति माह और 48,000/- रुपये प्रति वर्ष है, कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

10. **नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे विरुद्ध लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य, (2003) 8 एस.सी.सी. 731** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत की दृष्टि में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन मामलों में जहां दावेदार मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकरण द्वारा 10 के गुणक के चयन में भी कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अत:, हम अधिकरण द्वारा प्रतिकर की गणना में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

12. चूंकि हम अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं पाते हैं, चाहे वह मृतक की आय के आकलन के आधार पर हो या अधिकरण द्वारा दावेदारों की निर्भरता के आकलन पर या चयनित गुणक पर हो, प्रतिकर में वृद्धि के लिए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है और एतद्द्वारा संक्षिप्त तौर पर खारिज की जाती है।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur